सेवा में,

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड शासन, देहरादून
2. महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तराखंड शासन, देहरादून
3. माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, उत्तराखंड शासन, देहरादून
4. श्रीमान प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उत्तराखंड शासन, देहरादून

विषय: उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में नियमों एवं कानूनों को दरकिनार कर चिकित्सकों का मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न किए जाने के संबंध में प्रथम आधिकारिक शिकायत।

महोदय/महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं **चन्द्र शेखर जोशी**, सामाजिक कार्यकर्ता/RTI एक्टिविस्ट, जनहित में आपके सम्मुख यह प्रथम आधिकारिक शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मुझे प्राप्त तथ्यों एवं अभिलेखों **(संलग्न प्रत्यावेदन)** से यह स्पष्ट हुआ है कि उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में **तैनाती/स्थानांतरण संबंधी कार्यवाहियों में उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 एवं प्रचलित शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें दरकिनार कर मनमाने ढंग से निर्णय लिए जा रहे हैं।** इस प्रकरण में यह पाया गया कि—

- पति-पत्नी दोनों विशेषज्ञ चिकित्सक होने के बावजूद उन्हें एक ही स्थान पर तैनाती का लाभ नहीं दिया गया,
- **संबंधित चिकित्सको द्वारा दुर्गम क्षेत्र में सेवा देने की स्पष्ट इच्छा व्यक्त करने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया गया,**
- **जबकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि**—जिला चिकित्सालय पौड़ी (दुर्गम) में, जहां डॉ. संजय डालाकोटी की पत्नी **डॉ. सोनाली जोशी** ENT सर्जन के रूप में विगत लगभग 01 वर्ष से कार्यरत हैं, उसी चिकित्सालय में **हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedic Surgeon) का पद भी रिक्त है। (संलग्न)** इसके बावजूद संबंधित चिकित्सक को वहां तैनात न कर अन्यत्र भेजा जाना स्पष्ट रूप से नियमों एवं तर्कसंगत प्रशासनिक निर्णय के विपरीत है।
- **यह भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहा है कि** जिला चिकित्सालय पौड़ी मे NHM के अंतर्गत **"यू कोड वे पे"** योजना **के अंतर्गत 3-4 लाख माह के मानदेय पर 01 हड्डी रोग विशेषज्ञ कि तैनाती की गई है जिसका अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया है और** उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार(पौड़ी) **मे भी NHM से ही उक्त मानदेय पर 02 हड्डी रोग विशेषज्ञ तैनात किए है जबकि PMHS संवर्ग के हड्डी रोग विशेषज्ञ को 1.50 के लगभग वेतन प्रति माह भुगतान ही करना पड़ता है।**
- जिला चिकित्सालय पौड़ी ENT मे मात्र 30-40 की रोजाना OPD पर 02 विसेशज्ञ ENT चिकित्सक तैनात किए है। ***जबकि उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार (पौड़ी) मे 02 स्वीकृत पदो के सापेक्षा मात्र 01 ENT विशेषज्ञ तैनात किए है।***
- **इसके अतिरिक्त यह भी अत्यंत चिंताजनक है कि—जहां उत्तराखंड में अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने को तैयार नहीं होते, वहीं संबंधित चिकित्सक दम्पति द्वारा स्वेच्छा से 05–06 वर्षों तक दुर्गम क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में सेवा देने का विकल्प प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद, एक**

को दुर्गम एवं दूसरे को सुगम क्षेत्र में तैनात करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह उनके आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न को दर्शाता है।

यह कार्यवाही निम्न प्रावधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है—

1. **उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017** के **नियम 13(3)** – पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनाती एवं
2. **नियम 18 (1), (2), (5)** – दुर्गम क्षेत्र में तैनाती संबंधी प्रावधान

इस प्रकार की अनियमितताओं के दुष्परिणाम:

1. जहा चिकित्सकों को **दुर्गम क्षेत्र प्रोत्साहन (50% अतिरिक्त वेतन)** से वंचित होना पड़ेगा। **वही SDACP एवं अन्य सेवा लाभों** में बाधा उत्पन्न होगी।
2. पति-पत्नी अलग-अलग स्थानों पर तैनाती के कारण **मानसिक एवं पारिवारिक तनाव** बडेगा ।इससे चिकित्सकों की कार्यक्षमता प्रभावित होगी, जिससे **जन स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ेगा।
3. ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सक स्वयं को **उत्पीड़ित महसूस कर सेवा छोड़ने तक के लिए बाध्य** हो रहे हैं। जो कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियो एवं चिकित्साकीय समस्याओ के लिए सही नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि—

1. उक्त प्रकरण सहित समान प्रकृति के सभी मामलों की **उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच** कराई जाए।
2. उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 एवं संबंधित शासनादेशों का **कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित** किया जाए। जो दुर्गम मे सेवा देना चाहते है उन्हे उत्पीड़न की बजाय प्रोत्साहित किया जाय ।
3. दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध **अनुशासनात्मक कार्यवाही** की जाए।
4. स्थानांतरण प्रक्रिया को **पारदर्शी एवं जवाबदेह** बनाया जाए।
5. प्रभावित चिकित्सकों को तत्काल न्याय प्रदान कर उनके **मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न को समाप्त** किया जाए।

अंत में, यह शिकायत केवल व्यक्तिगत प्रकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक **जनहित, सेवा न्याय एवं सुशासन** से जुड़ा हुआ विषय है। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस पर **15–30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही** कर सूचित करने का कष्ट करेंगे,।

संलग्न: संबंधित चिकित्सको का प्रत्यावेदन (प्रतिलिपि)

2- जिला चिकित्सालय पौड़ी मे हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedic Surgeon) के रिक्त पद की सूचना।

3- उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार (पौड़ी) मे ENT विसेषज्ञ के रिक्त पद की सूचना।

01/04/2026

भवदीय

01/04/2026

(चन्द्र शेखर जोशी)
सामाजिक कार्यकर्ता /RTI Activist
म0स0 7/254, कालिका कुंज, ब्लाक आफिस के पास
जून एस्टेट रोड भीमताल (नैनीताल) उत्तराखंड 263136
MOB-6396260042 मेल ID-csjoshi1166@gmail.com

		बेड की संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद संख्या	कार्यरत चिकित्सा अधिकारी का नाम	शैक्षिक अर्हता	जनपद में तैनाती तिथि	अभ्युक्ति	एन०एच०एम० से You Quote We Pay के आधार पर	कार्यरत संविदा/बांडेड संख्या	संविदा/बांडेड चिकित्सक विवरण
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			फॉरेन्सिक	1	0	1	रिक्त						
			कुल	20	17	3							
2	उप जिला चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी	300	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	1	1	0	डा० विजय सिंह	MBBS DCH	08.04. 2025				
			फिजिशियन	3	1	2	डा० जगदीश चन्द्र ध्यानी	MBBS MD (MED)	18.11.2017				
			सर्जन	3	2	1	डा० सतीश कुमार	MBBS,MS	28.06.2016				
							डा० मयंक नौटियाल	MBBS,MS	23.07.2025				
			स्त्रीरोग विशेषज्ञ	4	2	2	डा० रीता बमोला	MBBS DGO	08.10.2021				
							डा० निकिता मौर्य	MBBS, DGO	02.05.2018				
			बालरोग विशेषज्ञ	4	3	1	डा० कुसुमा रावत ग्रे०-1	MBBS DCH	27.09.2015				
							डा० हरेन्द्र कुमार, सी०ग्रेड	MBBS DCH	09.11.2004				
							डा० सुशान्त भारद्वाज	MBBS, DCH	21.09.2023				
			एनेस्थेटिस्ट	3	2	1	डा० अलीशा कटवाल	MBBS DA	17.05.2025	डा० मोनिका खाती थैलीसैण से सम्बद्ध			
							डा० ऋत्विक रजत	MBBS DA	05.07.2025				
			नेत्र सर्जन	2	1	1	डा० दिनेश कुमार सिंह	MBBS, DOMS	17.02.2003				
			हड्डी रोग विशेषज्ञ	2	0	2	रिक्त					2	डा० अभिषेक जैन, आर्थो. डा० वागीश चन्द्र काला, आर्थोपैडिक सर्जन संविदा
			रेडियोलॉजिस्ट	2	2	0	डा० जय हिन्द सिंह	MBBS DMRD	28.12.2015				
							डा० निशान्त गर्ग	MBBS, DMRD	02.05.2018	दि० 12.09.2023 से कोटद्वार। दि० 01.05.2025 से अनुपस्थित			
			पैथोलॉजिस्ट	3	1	2	डा० सुप्रिया थिल्डियाल	MBBS DCP	02.07.2020				
			ई एन टी सर्जन	2	1	1	डा० अमन अग्रवाल	MBBS DLO	09.07.2025				
			चर्मरोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त						
			मनोरोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त						
			माइक्रोबायोलॉजी	1	0	1	रिक्त						
			फॉरेंसिक	1	0	1	रिक्त						
			अन्य विशेषज्ञ	2	0	2	रिक्त						
		16	निश्चेतक	2	0	2	रिक्त						
	आई०सी०यू कोटद्वार		फिजिशियन/चेस्ट फिजीशियन	2	0	2	रिक्त						
			कुल	39	16	23							

(17)

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि० स्वा० एवं प० क० उत्तराखण्ड

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड में संस्थावार/ईकाईवार चिकित्साधिकारियों की स्थिति (आई0पी0–एच0एस0 मानक के अनुसार)

जनपद- पौड़ी

	संस्थान का नाम	बेड की संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद संख्या	कार्यरत चिकित्सा अधिकारी का नाम	शैक्षिक अर्हता	जनपद में तैनाती तिथि	अभ्युक्ति	एन0एच0एम0 से You Quote We Pay के आधार पर	कार्यरत संविदा/बांडेड संख्या	संविदा/बांडेड संविदा चिकित्सक
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जिला चिकित्सालय, पौड़ी	200	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक										
			फिजिशियन	1	1	0	डा0 लोकेन्द्र दत्त सेमवाल	MBBS MPH	17-03-2025				
			सर्जन	2	1	1	डा0 आनन्द प्रसाद खंकरियाल	MBBS, MD Medicine	24.04.2021	दि0 09.05.2025 से जिला चिकित्सालय			
			स्त्रीरोग विशेषज्ञ	2	1	1	डा0 मयंक चौहान	MBBS MS	15.03.2022	दि0 02.07.2025 से जिला चिकि, पौड़ी	डा0 सुधाकर अग्रवाल, सर्जन		
			बालरोग विशेषज्ञ	3	0	3	रिक्त				डा0 रूपा कुमारी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ	1	डा0 एकता रावत, स्त्रीरोग विशेषज्ञ
				3	2	1	डा0 हितेन जंगपांगी सी0ग्रेड	MBBS MD (Paediatrics)	15.01.2025				
			एनेस्थेटिस्ट				डा0 निशा उपाध्याय	MBBS MD Pedia	09.05.2025				
			नेत्र शल्यक	2	1	1	डा0 प्रदीप कुमार	MBBS, DA	09.05.2025		डा0 गौरव रूंगटा, निश्चेतक		
			हड्डी रोग विशेषज्ञ	1	1	0	डा0 गीतांजली पाल	MBBS, DOMS	09.05.2025				
			रेडियोलोजिस्ट	1	0	1	रिक्त				डा0 अगम कांत, आर्थो0 सर्जन		
				1	1	0	डा0 संजय त्यागी सी0ग्रेड	MBBS, MD (Radiodiagnosis)	15.01.2025				
			पैथोलोजिस्ट	2	1	1	डा0 सन्दीप कुमार	MBBS DCH	Sept. 2025	डा0 विकासकुमार, पैथोलॉजिस्ट, उप जिला चिकि0, श्रीनगर से सम्बद्ध			
			ई.एन.टी.सर्जन	1	2	-1	डा0 सोनाली जोशी	MBBS, ENT	May, 2025				
							डा0 अरवनी चौहान	MBBS ENT	10.04.2015	दिसम्बर, 2022 से			
			चर्मरोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त						
			मनोरोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त						
			माइक्रोबायोलॉजी	1	0	1	रिक्त						
			फोरेन्सिक	1	0	1	रिक्त						
			अन्य विशेषज्ञ	2	0	2	रिक्त						
	आई0सी0यू0 पौड़ी	4	निश्चेतक	1	0	1	रिक्त						
			फिजिशियन/चेस्ट फिजीशियन	0	0	0	रिक्त						
			कुल	26	11	15							
1	उप जिला चिकित्सालय, श्रीनगर गढ़वाल	51–100	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1	1	0	डा0 विमल सिंह गुंसाई	MBBS MD	30.11.2.24				
			फिजीशियन	2	0	2	रिक्त						
			सर्जन	2	2	0	डा0 नितीश कुमार	MBBS MS	07-09-2022				
							डा0 मोहित सिंह	MBBS MS	03.09.2024				
			स्त्री रोग विशेषज्ञ	2	0	2	डा0 समीक्षा वर्मा	MBBS DGO	Sept. 2025				
			बालरोग विशेषज्ञ	2	2	0	डा0 गोविन्द पुजारी	MBBS DCH	19.01.2020				
							डा0 प्रेरणा पंवार	MBBS DCH	17.05.2022				
			एनेस्थेटिस्ट	2	3	-1	डा0 निशा चौहान	MBBS MD	07.04.2015	अगस्त 2021 से श्रीनगर में			
							डा0 अजना रावत	MBBS DA	20.06.2025				
			ई0एन0टी0 सर्जन	1	1	0	डा0 दिग्पाल	MBBS DLO	01-12-2022				
			नेत्र सर्जन	1	1	0	डा0 मोहित कुमार	MBBS, DOMS	03-09-2022				
			हड्डी रोग विशेषज्ञ	1	3	-2	डा0 गौतम नैथानी	MBBS, D. orth	01.10.2018				
							डा0 चौबे सचिन प्रभाकर	MBBS, D. Ortho.	14.10.2023				
							डा0 नरेन्द्र सिंह बुटोला	MS Ortho.	Jan. 2022	दि0 28.11.2022 से अनुपस्थित			
			रेडियोलोजिस्ट	1	1	0	डा0 रुचित गर्ग	MBBS, DMRD	05.05.2021				
			पब्लिक हैल्थ विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त						
			पैथोलोजिस्ट	1	2	-1	डा0 अनीता जगुड़ी	MBBS DCP	07.04.2015	दि0 27.10.2020 से श्रीनगर में			
							डा0 विकास कुमार	MBBS MD Path.	02.08.2024	सम्बद्ध जिला चिकि0, पौड़ी			
			चर्मरोग विशेषज्ञ	1	1	0	डा0 साधना रतूड़ी	MBBS, MD Derma.	14-11-2023				
			मनोरोग विशेषज्ञ	1	0	1	रिक्त						

RTI के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अभिलेख
चि0 स्वा0 एवं प0 क0 उत्तराखण्ड

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखंड, देहरादून

द्वारा- उचित माध्यम

विषय: उत्तराखंड शासन चिकित्सा स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -1 के आदेश संख्या 379892 दिनांक 17 मार्च 2026 के क्रम मे आपके कार्यालय आदेश पत्रांक 8187 दिनांक 25 मार्च 2026 के संबंध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा PG कोर्ष पूर्ण करने के उपरांत **उत्तराखंड शासन चिकित्सा स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -1 के आदेश संख्या 379892 दिनांक 17 मार्च 2026** के क्रम मे **आपके कार्यालय आदेश पत्रांक 8187 दिनांक 25 मार्च 2026 की** क्र0सं0 22 पर **Orthopedic** बिशेषज्ञ के रूप मे **उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार(पौड़ी)** मे तैनाती की गई है । जिसके क्रम मे मेरा पुनर्विचार हेतु **प्रत्यावेदन** इस प्रकार है कि मेरे द्वारा तैनाती से पूर्व ही **संलग्न पत्र दिनांक 01/01/2026(प्रेषक–डॉ. संजय डालाकोटी)** द्वारा PG उपरांत नई तैनाती हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया गया था। जिसे CMO पिथौंरागड़ द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3433 दिनांक19/01/2026 से आपको आवस्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था,जिसमे मेरे द्वारा लिखा गया था कि -

- प्रार्थी द्वारा PMHS संवर्ग मे बिभाग से NOC लेकर 03 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम **MS (Orthopedic) दून मेडिकल कालेज उत्तराखंड से** सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया,
- तत्पश्चात दिनांक **31.12.2025** को **उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल (UMC)** में PG पंजीकरण कराया गया,
- एवं दिनांक **01.01.2026** को **पति-पत्नी एक स्थान पर तैनाती (Spouse Policy)** के अंतर्गत **जिला चिकित्सालय पौड़ी (दुर्गम) में Orthopedic के रिक्त पद पर तैनाती हेतु आवेदन किया गया था।**

साथ ही उक्त पत्र मे यह भी अवगत कराया गया था कि—

- प्रार्थी की पत्नी **डॉ. सोनाली जोशी** ENT विशेषज्ञ के रूप में **जिला चिकित्सालय पौड़ी गढ़वाल** में कार्यरत हैं,
- मेरे द्वारा उक्त पत्र के साथ अभिलेख उपलब्ध कराये गए थे जिसमे जिला चिकित्सालय **पौड़ी गढ़वाल** में PMHS संवर्ग का **Orthopedic सर्जन का पद रिक्त था।**
- अतः उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के **नियम 13(3)** के अंतर्गत पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनाती का लाभ प्रदान किया जाना अपेक्षित था।
- **उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के नियम 18 (1) (2) एवं (5) (प्रथम नियुक्ति या पदोन्नति मे दुर्गम मे तैनाती की व्यवस्था भी प्रदान की गई थी)**

किन्तु अत्यंत खेद के साथ अवगत कराना है कि—

- प्रार्थी के उक्त आवेदन पर विचार न करते हुए, प्रार्थी की तैनाती **उप जिला चिकित्सालय, कोटद्वार (पौड़ी)** में कर दी गई, जो कि **सुगम क्षेत्र** में आता है।
- **जहा उत्तराखंड मे कोई भी स्पेसलिस्ट चिकित्सक दुर्गम मे सेवा करने को तैयार नही होता वही हम दोनों पति पत्नी 05-06 साल तक दुर्गम मे स्पेसलिस्ट चिकित्सक के रूप मे सेवा करने का बिकल्प दे रहे है । परंतु मेरी पत्नी को दुर्गम और मुझे सुगम मे तैनाती देना न्याय संगत नहीं है बल्कि एसा प्रतीत हो रहा है कि बिभाग द्वारा हमारा आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।**

जिससे निम्न गंभीर आर्थिक और मानसिक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं—

1. प्रार्थी को शासनादेश संख्या 364383 दिनांक 23 जनवरी 2026 के अंतर्गत मिलने वाला **दुर्गम क्षेत्र में तैनाती हेतु 50% अतिरिक्त वेतन (Incentive)** से वंचित कर दिया गया।

पेज (09)

2. दुर्गम क्षेत्र में सेवा न मिलने के कारण भविष्य में मिलने वाली SDACP के अंतर्गत वेतन वृद्धियों (increments) में शासनादेश संख्या 654 दिनांक 14 जुलाई 2016 के बिन्दु संख्या 01 एवं 02 के अनुसार सेवाकाल मे 04-09-13-20 वर्ष की सेवा पर **02-05-07-09 वर्ष की दुर्गम सेवा अनिवार्य है।** इसमे बाधा उत्पन्न होगी। और **मुझे इस लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा।**
3. उत्तराखंड शासन की **पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनात करने की नीति का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।**
4. पति-पत्नी अलग-अलग स्थानों पर कार्यरत होने के कारण पारिवारिक दायित्वों एवं एक-दूसरे की देखभाल में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक एवं कार्यक्षमता पर पड़ रहा है।
5. परिणामस्वरूप—जहा मुझे कम वेतन मिलने से आर्थिक परेशानी होगी वही मानसिक परेशानियों के कारण मेरी एवं मेरी पत्नी की कार्यक्षमता प्रभावित होगी जिससे राज्य के **गरीब एवं दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है।**

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि—निम्न 03 विकल्पों मे से किसी एक विकल्प पर कार्यवाही करने का कष्ट करें

1- प्रार्थी के दिनांक 01.01.2026 के आवेदन पर पुनर्विचार करते हुए, उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के **नियम 13(3)** एवं 18 <u>(1) (2) एवं (5)</u> का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें । **मुझे जिला चिकित्सालय पौड़ी (दुर्गम) में Orthopaedics के रिक्त पद पर तैनात करने का कष्ट करें ।**

अथवा

2. प्रार्थी से उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार (पौड़ी) मे **Orthopaedics** विशेषज्ञ की सेवाये लेते हुये दुर्गम क्षेत्र में तैनाती के आधार पर मिलने वाले सभी **वेतन एवं सेवा संबंधी लाभ (50% अतिरिक्त वेतन, SDACP लाभ आदि)** प्रदान करने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करे।

अथवा

3. मेरी पत्नी को भी **जिला चिकित्सालय पौड़ी से स्थान्तरित कर मेरे साथ उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार (पौड़ी) मे ENT विशेषज्ञ / अन्य विसेषज्ञ** के रिक्त पद पर स्थानातरित करने का कष्ट करे।

महोदय, यह प्रकरण केवल व्यक्तिगत हित का नहीं बल्कि **शासन की नीति, सेवा न्याय (Service Justice) एवं जनहित (Public Interest)** से संबंधित है, अतः इस पर सहानुभूतिपूर्वक एवं न्यायोचित निर्णय लिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

महोदया यदि बिभाग दवारा मेरे प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नही किया जाता और सभी नियमो को दरकिनार किया जाता है तब उकतानुसार आर्थिक एवं मानसिक परेशानी मे यदि राजकीय कार्य करते समय या चिकित्सकीय दाइत्वों का पालन कराते समय कोई अप्रिय घटना घटित होने पर हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।

महोदया यदि बिभाग चाहे तो इसे हमारा त्यागपत्र मानकर हमारी PMHS PG बांड की शर्तों को समाप्त कर हमें बिभाग से कार्यमुक्त भी किया जा सकता है, जिस पर हमारी पूर्ण सहमति है ।

महोदया यदि बिभाग दवारा मेरे प्रत्यावेदन पर **30 दिनो** के अंतर्गत कोई निर्णय लेकर मुझे सूचित नहीं किया जाता है तब मुझे मजबूरन न्यायालय की शरण मे जाने एवं अन्य बिकल्प पर बिचार करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसकी सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी बिभाग की रहेगी।

संलग्न -मूल आवेदन पत्र की प्रति:CMOपिथौरागढ़ के पत्रांक 3433 दिनांक19 जनवरी 2026 भवदीय

उक्तानुसार सहमति

31/3/26

(डा0 सोनाली छेत्री)

ENT सर्जन जिला चिकित्सालय पौड़ी उत्तराखंड

31/3/26

(डा0 संजय डालाकोटी)

Orthopedics सर्जन

उप जिला चिकित्सालय (कोटद्वार) पौड़ी उत्तराखंड